न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 190/2019 (120/19)

वादीगण		प्रतिवादीगण
1 चूनाराम 2 मुकनाराम 3 तिलाराम पिसरान हीराराम जाति प्रजापत निवासी रामदेरिया, हाथीतला तहसील व जिला बाडमेर।	बनाम	1 हीराराम पुत्र अचलाराम 2 रूगाराम पुत्र हीराराम जाति प्रजापत निवासी रामदेरिया, हाथीतला तहसील व जिला बाडमेर। 3 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 40, 91 व 188 RTA Act.

उपस्थिति :– 1. श्री प्रेम प्रजापत, वकील वादी पक्ष।
2. श्री दानसिंह राठौड़, वकील प्रतिवादी संख्या 01 व 02।

निर्णय

दिनांक 29.7.19

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 02 सगे भाई है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 02, प्रतिवादी संख्या 01 के पुत्र है जो हिन्दु होने से हिन्दु विधि से शासित है। वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के पैतृक संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा रामदेरिया पटवार क्षैत्र हाथीतला तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 347/7 रकबा 31.05 बीघा भूमि आई हुई है। वादग्रस्त भूमि वादीगण के दादा अचलाराम के नाम से थी। अचलाराम के देहान्त के पश्चात प्रतिवादी संख्या 01 व उसके भाईयों ने भूमि का बंटवाड़ा कर लिया, जिसमें उक्त वादग्रस्त भूमि के प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज हुई। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 02 प्रतिवादी संख्या 01 हीराराम के विधिक वारिस है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि में जन्म से ही हित निहित हो गया है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 प्रत्येक का वादग्रस्त भूमि में 1/5–1/5 हिस्सा खातेदारी का बनता है, जिसे घोषित करवाने की वादीगण अधिकारी है।

वकील प्रतिवादी संख्या 01 की और से वाद कथन को स्वीकार करते हुए ईकबाली जवाब एवं राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 व 02 अचलाराम के वंशज होने के कारण पैतृक भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 प्रत्येक का भी 1/5–1/5 हिस्सा जन्म से निहित है। वादीगण को उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 के साथ सहखातेदार घोषित कर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा घोषित किया जाता है तो उसे कोई आपति नही है।

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र सामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा सामिल मिसल किया गया। वादीगण द्वारा शपथ पत्र में अंकित किया कि वाद पत्र में अंकित समस्त कथन सही है।

सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

वकील प्रतिवादी संख्या 02 ने प्रतिदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के साथ प्रतिवादी संख्या 02 का भी हिस्सा पृथक कर घोषित किया जावे।

Scanned by CamScanner

बहस सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। पैतृक भूमि में वादीगण का जन्म से हिस्सा निहित है। लिहाजा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 02 को प्रतिवादी संख्या 01 हीराराम के साथ सहखातेदार घोषित करते हुए वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा घोषित किया जावे।

वकील प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा प्रतिदावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 02, प्रतिवादी संख्या 01 का जायन्दा पुत्र होने के नाते वादग्रस्त भूमि में उसका भी हिस्सा जन्म से निहित होने के कारण वह भी प्रतिवादी संख्या 01 के साथ सहखातेदार घोषित होने तथा अपना हिस्सा पृथक करवाने का अधिकारी है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2012 से 2039 व जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 का भी अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजात के आधार पर वादग्रस्त भूमि पैतृक होना प्रमाणित है तथा पैतृक भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 02 का हिस्सा जन्म से निहित है। माफिक राजीनामा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 02 अपना हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण का वाद एवं प्रतिवादी संख्या 02 का प्रतिदावा माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा रामदेरिया पटवार क्षेत्र हाथीतला तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 347/7 रकबा 31.05 बीघा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 02 को प्रतिवादी संख्या 01 हीराराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 29.7.18 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलेक्टर
(SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर

पीठासन अधिकारी श्री नीरज मिश्र (आर.ए.एस.) अन्तिम डिक्री

अनवान

वादीगण		प्रतिवादीगण
1 चूनाराम 2 मुकनाराम 3 तिलाराम पिसरान हीराराम जाति प्रजापत निवासी रामदेरिया, हाथीतला तहसील व जिला बाड़मेर।	बनाम	1 हीराराम पुत्र अचलाराम 2 रूगाराम पुत्र हीराराम जाति प्रजापत निवासी रामदेरिया, हाथीतला तहसील व जिला बाड़मेर। 3 तहसीलदार बाड़मेर।

दावा बाबत् 88, 40, 91 व 188 रा.का.अ.
मुकदमा नम्बर :– 100/2019 (120/19)
निर्णय दिनांक :– 29.7.19

वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादीगण की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 29.7.19 को श्री नीरज मिश्र, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाड़मेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिकरी निम्नप्रकार दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद एवं प्रतिवादी संख्या 02 का प्रतिदावा माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा रामदेरिया पटवार क्षैत्र हाथीतला तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 347/7 रकबा 31.05 बीघा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 02 को प्रतिवादी संख्या 01 हीराराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाड़मेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह आज तारीख 29.7.19 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(नीरज मिश्र)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, बाड़मेर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 .... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

Scanned by CamScanner